हिमाचल प्रदेश सरकार,
पंचायती राज विभाग।

संख्याःपीसीएच–एचए (1)2/2019– 66435-39 शिमला–171009 दिनांक 15/10/2020.

अधिसूचना

इस विभाग की अधिसूचना संख्या पीसीएच–एचए(1)2/2019–59414–36 दिनांक 14.09.2020 के अन्तर्गत, जिला बिलासपुर में ग्राम सभा क्षेत्रों को विभाजित, पुनर्गठित और नए ग्राम सभा क्षेत्रों को गठित करने तथा ग्राम सभा क्षेत्रों की स्थापना हेतू प्रस्तावना द्वारा सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों से आक्षेप एवं सुझाव आमंत्रित किए गए थे तथा उपायुक्त, जिला बिलासपुर को इस सम्बन्ध में, आक्षेप/सुझाव प्राप्त करने और उन पर विचार करने के उपरान्त अन्तिम सिफारिश प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया गया था;

उपरोक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त आक्षेपों एवं सुझावों पर उपायुक्त, जिला बिलासपुर की सिफारिशों के दृष्टिगत, इस विभाग द्वारा जिला बिलासपुर के निम्नलिखित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन, पुनर्गठन और नए ग्राम सभा क्षेत्रों की स्थापना से सम्बन्धित पूर्व में जारी अधिसूचनाओं के आंशिक संशोधन में, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्याक 4) की धारा 2 के खण्ड (46) तथा धारा 3 की उप धाराओं (1) व (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, जिला बिलासपुर के निम्न अनुसूची–1 में वर्णित राजस्व गांव के उन भागों को जो कोष्ठ सं0 6 में अंकित है, के लिए कोष्ठ संख्या 5 में अंकित नाम से ग्राम घोषित करने तथा अनुसूची–11 में दिए गए विवरण अनुसार ग्राम सभा क्षेत्रों को विभाजित, पुनर्गठित कर उनके लिए, उपरोक्त अधिनियम की धारा 4 की उप धारा (1) के प्रयोजन हेतू, निम्न प्रकार से ग्राम सभा क्षेत्रों की स्थापना का सहर्ष आदेश प्रदान करते हैं;

राज्यपाल हिमाचल प्रदेश, उपरोक्त अधिनियम की धारा 3 की उप धारा (2–क) तथा धारा 3–क के अधीन प्रदत शक्तियों के अन्तर्गत यह आदेश भी प्रदान करते हैं कि इस अधिसूचना के अन्तर्गत ग्राम सभा क्षेत्रों का विभाजन और पुनर्गठन, विद्यमान पंचायतों के निर्वाचित पदाधिकारियों की पदावधि को प्रभावित नहीं करेगा।

अनुसूची–1

क0 सं0	ग्राम सभा का नाम।	कोष्ठ संख्या–2 में वर्णित ग्राम सभा के ग्रामों के नाम जिनके विभाजन से नए ग्राम की घोषणा की जानी है।	कोष्ठ संख्या–3 में वर्णित ग्राम के कुल खसरा न0।	कोष्ठ संख्या–3 में वर्णित ग्राम के विभाजन पर इस घोषणा आदेश द्वारा रखे गए नए नाम।	कोष्ठ संख्या–5 में वर्णित नव घोषित ग्रामों में सम्मिलित होने वाले खसरा न0।
1	2	3	4	5	6
1	विकास खण्डः–झण्डूता				
1	समोह	1 समोह	कुल खसरा न0–1248	1. ठप्पर ढिगू	1121/1070/932, 933 से 975, 1125/926, 1126/976, 1127/976,

						1201/1128/976, 1202/1128/976, 1199/976, 1200/976, 977, 1071/978, 1072/978, 1203/979, 1204/979, 1205/979, 980 से 1017 (कुल ख0न0–95)

अनुसूची–11

क0 सं0	वर्तमान ग्राम सभा का नाम	कोष्ठ संख्या–2 में वर्णित ग्राम सभा के ग्रामों के नाम	अपवर्जित ग्रामों के लिए नई ग्राम सभा तथा उसके मुख्यालय का नाम	कोष्ठ संख्या–4 में वर्णित नई ग्राम सभा में सम्मिलित होने वाले ग्रामो के नाम	कोष्ठ संख्या–2 में वर्णित ग्राम सभा में बचे शेष ग्रामों के नाम	विवरण
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	विकास खण्डः–झण्डूता					
1	समोह	1 समोह	विजयपुर	1 विजयपुर	1 समोह (शेष बचे ख0न0–1053)	राजस्व ग्राम समोह के उप गांव सुकडी को सरकार की अधिसूचना दिनांक 15.09.2020 द्वारा अपवर्जित कर ग्राम सभा निहाण में सम्मलित किया गया है।
		2 जंगल ढिंगू		2 जंगल ढिंगू	2 नेरस	
		3 विजयपुर				
		4 नेरस		ग्राम समोह के उप गांव ठप्पर ढ़िगू (1121/1070/932, 933 से 975, 1125/926, 1126/976, 1127/976, 1201/1128/976, 1202/1128/976, 1199/976, 1200/976, 977, 1071/978, 1072/978, 1203/979, 1204/979, 1205/979, 980 से 1017) कुल ख0न0–95		

आदेश द्वारा
सचिव (पंचायती राज),
हिमाचल प्रदेश सरकार।

संख्या:पीसीएच–एचए(1)2/2019– 66435-39 शिमला–171009 दिनांक 15/10.2020.

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतू निम्नलिखित को प्रेषित है:–

1. उपायुक्त, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश।
2. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश शिमला–02
3. जिला पंचायत अधिकारी, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश।
4. समस्त सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश
5. समस्त सम्बन्धित प्रधान/सचिव, ग्राम पंचायत, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश को अतिरिक्त दो प्रतियों सहित (वर्तमान तथा नवगठित ग्राम सभाओं में पंचायत रिकार्ड हेतु)।

संयुक्त सचिव (पं०राज),
हिमाचल प्रदेश सरकार